बिहार लोक सेवा आयोग,

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800001

आवश्यक सूचना

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के अंतर्गत प्रकाशित विज्ञापनों जिनका साक्षात्कार सम्पन्न हो चुका है, उन विज्ञापनों के अंतर्गत साक्षात्कार में शामिल दिव्यांग उम्मीदवारों में से मुक बधिर (DD) दिव्यांग उम्मीदवारों (बिहार एवं अन्य राज्य सहित) को सूचित किया जाता है कि वे अपना दिव्यांगता सम्बन्धित प्रमाण पत्र **इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (IGIMS, Patna)** से बनवाकर **दिनांक 15.02.2023** को अनिवार्य रूप से आयोग कार्यालय में जमा करेंगे। **(नोटः– प्रायः देखा गया है कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले मुक बधिर (DD) उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दिव्यांगता प्रमाण पत्र वैसे संस्थान से निर्गत है, जहाँ मूक बधिर (DD) जाँच सम्बन्धित पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। जाँचोपरान्त कतिपय उम्मीदवारों का दिव्यांगता प्रतिशत निर्धारित मानक (40%) से कम पाया गया है। अतः उक्तालोक में मूक बधिर (DD) उम्मीदवारों से IGIMS, Patna द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।)**

2. अन्य दिव्यांगता (OH/VI/MI/MD) वाले सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होगें। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।) से निर्गत है। यदि किन्हीं अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से निर्गत नहीं है तो वे अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से बनवाकर **दिनांक 15.02.2023** को आयोग कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
3. बिहार राज्य से बाहर के स्थायी निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रारूप में बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में **दिनांक 15.02.2023** को जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त तिथि को प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी प्रभावित होगी एवं सम्बन्धित उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

उक्त उम्मीदवारों की सूची आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर प्रकाशित है।

19/1/23

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना